

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 16-6-11

-: आदेश :-

इस विभाग के आदेश संख्या प.3(1)साप्र/2/2011 दिनांक 19.4.2011 तथा दिनांक 5.5.2011 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	26/2011	श्री राजेन्द्र कुमार औझा उप अधीक्षक, ए.टी.एस. घाटगेट, जयपुर.	ए-88 जवाहरनगर	30.4.2017
2.	30/2011	श्री जी. पी. गुप्ता उद्योग प्रसार अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर शहर, जयपुर	ए-99 जवाहरनगर	31.5.2018
3.	9/09	श्री अशोक कुमार शर्मा स्टेनो, उप मुख्य वन जीव प्रतिपालक चिडियाघर, जयपुर	III/104 भूतल गांधीनगर	30.9.2026
4.	12/09	श्री उम्मेद सिंह प्राध्यापक, राजकीय पोददार उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर	III/46 गांधीनगर	30.6.2034
5.	21/09	सुश्री निर्मला कुमारी नर्स श्रेणी प्रथम, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	III/106 गांधीनगर	30.4.2021
6.	32/09	श्रीमती स्नहेलता नर्स ग्रेड द्वितीय महिला चिकित्सालय, सांगानेरी रोड, जयपुर	III/91 गांधीनगर	30.9.2016
7.	35/09	श्रीमती अलका सिरोही जिला परिगोजना एवं समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	III/69 गांधीनगर	30.11.2030
8.	31/2011	डॉ. पुष्पेन्द्र बुडानिया सी.ए.एस.पी.जी. (सर्जरी), सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-65 जवाहरनगर	31.1.2041
9.	38/2011	श्री यशवंत कुमार वया लेखाकार, कार्यालय उप वन संरक्षक, वाणिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	ए-66, जवाहरनगर	31.7.2015

आज्ञा से


६९

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस., जयपुर।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
9. उप मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक चिडियाघर, जयपुर।
10. प्रधानाचार्य, राजकीय पौद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
11. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
12. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
13. अधीक्षक, महिला चिकित्सालय सांगानेरीगेट, जयपुर।
14. अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
15. उप वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जे.एल.एन. रोड, जयपुर।
16. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
17. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गाँधीनगर/जवाहरनगर, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाँधीनगर जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावें।
19. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
20. श्री राजेन्द्र कुमार औझा, उप अधीक्षक, ए.टी.एस. घाटगोट, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III) ए के तहत छः माह पश्चात् गांधीनगर, जयपुर हेतु विचारणीय होगा।
21. संबंधित अधिकारीगण।
22. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
23. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
24. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
25. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
26. रक्षित पत्रावली।


 शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 16-6-11

:- आदेश :-

श्री बाबूलाल राजपुरोहित, मेल नर्स ग्रेड-II, राजकीय चिकित्सालय गणगौरी बाजार, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 19/2011 है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 31.7.2025 है के आधार पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश संख्या प.3(1)साप्र/2/2011 दिनांक 5.5.2011 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या 15/24, मालवीयनगर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 15/13, मालवीयनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है।

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से


82

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधीक्षक, राजकीय चिकित्सालय गणगौरी बाजार, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।

6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गॉंधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गॉंधीनगर जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावें।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
10. श्री बाबूलाल राजपुरोहित, मेल नर्सिंग ग्रेड-II, राजकीय चिकित्सालय गणगौरी बाजार, जयपुर को भेजकर लेख है—कृपया परिवर्तित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
11. निदेशक, उद्यान विज्ञान, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 3(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक 16-6-11

-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.4.2011 के क्रमांक 2 पर अंकित डॉ० विष्णु कुमार अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर को उनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 104/2007 के आधार पर राजकीय आवास संख्या 19/III/ए, बहुमंजिला गांधीनगर आवंटित किया गया था। अतः डॉ० विष्णु कुमार अग्रवाल के स्थान पर आंशिक रूप से संशोधन कर डॉ० विष्णु अग्रवाल पढा जाये।

आज्ञा से



(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
5. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
6. अधीक्षक, जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि० निगम लि० गांधीनगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाँधीनगर जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावें।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
10. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11. डॉ० विष्णु अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, जे. के. लोन अस्पताल, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 1.6.2011 के क्रम में।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.2(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक 16-6-11

-: आदेश :-

श्री मनोज जैन, वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (व्यय-4) विभाग, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता संख्या 27/2010 है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 30.6.2033 है के आधार पर इस विभाग के आदेश संख्या प.2(1)साप्र/2/2010 दिनांक 1.7.2010 के द्वारा उनके निवास हेतु आवंटित राजकीय आवास संख्या II/10, गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर II/15, गांधीनगर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है:-

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन रद्दीकरण करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटन के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटन अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
8. आवंटन को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटन निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटन के द्वारा कोई स्वयं/पति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

आज्ञा से,

(मनफूल देरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग।
4. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजकर्म, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
9. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटन द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावे।
12. श्री मनोज जैन, वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (व्यय-4) विभाग, जयपुर।
13. श्री मनोज जैन, निवासी II/10, गांधीनगर, जयपुर-कृपया परिवर्तित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर सूचित करें।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवे तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्था करावे।
15. शासन सहायक सचिव (मंडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव